# उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न हुई 39वीं बैठक का कार्यवृत्त।

**बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। | –अध्यक्ष |
| 2. | श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। | –सदस्य / सचिव |
| 3. | श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) | –सदस्य |
| 4. | श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) | –सदस्य |
| 5. | श्री आनन्द प्रकाश सिंह, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) | –सदस्य |
| 6. | श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) | –सदस्य |
| 7. | श्री राज कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) | –सदस्य |

**विशेष आमंत्री:–**

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी (वन), यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी (उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
8. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
9. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
10. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए, यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल), यूपीडा।
13. श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
14. श्री अजय गौतम, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री शफीक अहमद, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
16. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, सलाहकार (विधि), यूपीडा।
18. श्री जय कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–प्रथम, यूपीडा।
19. श्री रमेश चन्द्र दुबे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–द्वितीय, यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 39वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–**

**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा 38वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–**

**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न 38वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–**

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न हुई 38वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–**

**'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के विकास, क्रियान्वयन तथा निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धित अभिलेख आदि तैयार करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु तैयार किये गये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से जोड़ने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13.09.2017 में लिये गये निर्णयानुसार परामर्शी का चयन कर 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है। परामर्शी द्वारा परियोजना के विभिन्न संरेखणों को चिन्हित कर मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 07.01.2018 को प्रस्तुतीकरण किया गया था तथा बैठक में दिये गये सुझावों के क्रम में परामर्शी द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित संरेखण को संशोधित कर अंतिमीकृत संरेखण उपलब्ध कराया गया है। परामर्शी द्वारा प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही अंतिम चरणों में है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के लिये रुपये 650 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के अग्रेत्तर विकास, क्रियान्वयन हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' तैयार कर यूपीडा निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

कार्यवाही/निर्णय

'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर विचार–विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

4

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4–

**'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना के विकास, क्रियान्वयन तथा निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धित अभिलेख आदि तैयार करने हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु तैयार किये गये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर अनुमोदन के सम्बन्ध में:–**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 1109/77–3–16– 502एम/2014 दिनांक 07.06.2017 के अनुक्रम में 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' को गोरखपुर से जोड़ने हेतु प्रस्तावित 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' की 'प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने के लिये परामर्शी का चयन कर 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार करने के लिये भी परामर्शी का चयन कर रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है। दोनों परियोजनाओं हेतु परामर्शियों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न संरेखणों को चिन्हित कर मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 04.04.2018 को प्रस्तुतीकरण किया गया था, तथा बैठक में दिये गये सुझावों के क्रम में परामर्शियों द्वारा परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित संरेखणों का अंतिमीकरण कर 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स' तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि कि शासन द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' के लिये रुपये 550 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना के अग्रेत्तर विकास, क्रियान्वयन हेतु 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' तैयार कर यूपीडा निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर विचार–विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्देश निर्गत किया गया कि 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना हेतु तैयार किये गये 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' की भांति 'प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना हेतु 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' तैयार कर इस परियोजना के लिये भी 'परियोजना विकास परामर्शी' के चयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

**पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की अनुमतिः–**

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक अनुमति (Stage-1) भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं वायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या 8बी/यू.पी./06/01/2018/एफ.सी./864 दिनांक 09.03.2018 द्वारा कतिपय शर्तो के साथ प्रदान की गयी। भारत सरकार के पत्र की छाया प्रति बोर्ड के सूचनार्थ संलग्न है। सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। सैद्धान्तिक सहमति की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त पर निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, कार्यवाही आपेक्षित नहीं।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:–

**"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2018–19 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में:–**

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 2747/77–3–2017–37एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई है। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर 2018–19 हेतु टोल दर निर्धारित कर वसूल की जानी है।

"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर दिनांक 19/20.01.2017 की मध्यरात्रि से टोल फीस की वसूली प्रारम्भ कर दी गई है। एक्सप्रेसवे पर समुचित मात्रा में वाहनों के चलने को उत्प्रेरित करने के दृष्टिगत यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 29.12.2017 में लिये गये निर्णय तथा औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा एक अधिसूचना संख्या– 02/2018/235/77–3–2018–37एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के क्रम मे प्रथम छः माह के लिये समस्त वाहनों पर टोल फीस में 25% की छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2018 के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल दरों में प्रदान की गई 25% की छूट दिनांक 18.07.2018 (टोलिंग प्रारम्भ करने के दिनांक से छः माह) तक अनुमन्य है।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 02/2018/235/77–3–2018–37एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–4 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर टोल की वसूली एवं टोल प्लाजा के संचालन हेतु निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार तत्कालिक व्यवस्था के अर्न्तगत मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्रा लि0 को दिनांक 15.01.2018 से आगामी 4 माह अथवा किसी एजेन्सी के चयन तक के लिये "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर टोल वसूली तथा टोल प्लाजा के संचालन का दायित्व दिया गया है।

यूपीडा द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर 'टोल की वसूली, टोल प्लाजा के संचालन के लिये एजेन्सी के चयन' हेतु मेसर्स फीडबक इन्फ्रा प्रा0 लिमिटेड की सेवायें परामर्शी के रूप में ली जा रही है। परामर्शी द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप वर्ष 2018–19 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर संशोधित टोल दरों को निम्नवत् आंगणित किया है:–

| थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) | |
|---|---|
| अवधि | दर |
| दिसम्बर–2016 | 343.32 |
| दिसम्बर–2017 | 355.66 |

| क्रम सं0 | वाहन का प्रकार | वर्ष 2017–18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में) | वर्ष 2018–19 के लिये दिसम्बर 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 355.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन | 2.20 | 2.25 |
| 2 | हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस | 3.50 | 3.55 |
| 3 | बस या ट्रक | 7.05 | 7.15 |
| 4 | भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय) | 10.85 | 11.00 |
| 5 | टोल विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय) | 13.85 | 14.05 |

2– निर्मित स्थाई सेतु , इण्टरचेंज फ्लाईओवर , रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु , बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है , तो आधार वर्ष 2018–19 के लिये दिसम्बर, 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) (355.66) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी।

| | | फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में ) | कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन | | हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस | | बस या ट्रक | | भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय) | | विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) ( या अधिक धुरीय) | |
| | | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 |
| 1 | 10–15 | 6.00 | 6.10 | 9.00 | 9.15 | 18.00 | 18.25 | 26.40 | 26.80 | 35.95 | 36.45 |
| 2 | रू0 16 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 1.85 | 3.60 | 3.65 | 5.40 | 5.50 | 7.20 | 7.30 |
| 3 | रू0 101 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक | 0.90 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 2.70 | 2.75 | 4.10 | 4.15 | 5.40 | 5.50 |
| 4 | रू0 201 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 1.85 | 2.70 | 2.75 | 3.60 | 3.65 |

वर्ष 2018–19 में ''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017'' के प्राविधानों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों के लिये आंगणित की गई टोल दर निम्नवत् है:–

| क्रम सं0 | वाहन का प्रकार | वर्ष 2017–18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में) | | वर्ष 2018–19 के लिये दिसम्बर 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 355.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 25% छूट के साथ | बिना छूट के | 25% के छूट साथ | बिना छूट के |
| 1 | कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन | 570 | 760 | 585 | 780 |
| 2 | हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस | 905 | 1205 | 915 | 1220 |
| 3 | बस या ट्रक | 1815 | 2420 | 1840 | 2455 |
| 4 | भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय) | 2785 | 3715 | 2825 | 3765 |
| 5 | टोल विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय) | 3575 | 4770 | 3630 | 4835 |

यह अवगत कराना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) द्वारा डब्ल्यू0पी0आई0 के आधार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 से किये जाने के कारण वर्ष 2018–19 की डब्ल्यू0पी0आई0 निर्धारित करने हेतु लिंकिंग फैक्टर 1.641 का प्रयोग किया है जिसके अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) 355.66 निर्धारित किया गया है ।

२५

परामर्शी द्वारा भी यूपीडा की एक्सप्रेसवे हेतु वर्ष 2018–19 की टोल दरों का आंकलन करने हेतु दिसम्बर, 2017 डब्ल्यू0पी0आई0 355.66 का उपयोग किया गया है। परामर्शी द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु पुर्नरिक्षित टोल दरों के अनुसार
'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजाज/टोल बूथ के बीच लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण संलग्नक–1 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

एक्सप्रेसवे पर समुचित मात्रा में वाहनों के चलने को उत्प्रेरित करने के दृष्टिगत यूपीडा के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 29.12.2017 में लिये गये निर्णय तथा औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 02/2018/235/77–3–2018–37एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के क्रम मे प्रथम छः माह के लिये समस्त वाहनों पर टोल फीस में 25% की छूट प्रदान की गई है, जोकि 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल लागू करने की दिनांक 19.01.2018 से छः माह की अवधि अर्थात् 18.07.2018 तक अनुमन्य है।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37एनएम–12 दिनांक 15.01.2018, द्वारा टोल दरों मे प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। अतएव, 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2018–19 के लिये परामर्शी द्वारा आंगणित संशोधित टोल दरों को लागू किये जाने पर निदेशक मण्डल कृपया निर्णय लेना चाहें। उक्त संशोधित टोल दरों पर 25% की छूट (जोकि दिनांक 15.01.2018 की अधिसूचना के अनुसार 18.07.2018 तक अनुमन्य है) की अवधि पर भी निदेशक मण्डल कृपया निर्णय लेना चाहें।

**कार्यवाही/निर्णयः–** निदेशक मण्डल को वर्ष 2018–19 हेतु आगणित विभिन्न वाहनों हेतु आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु टोल दरों के विषय में अवगत कराया गया। सम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिये आकलित टोल दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्णय लिया गया, कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों के अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वर्ष 2018–2019 के लिये टोल दरों मे 25 प्रतिशत छूट प्रदान करने तथा इस विषय मे प्रशासकीय विभाग को प्रकरण संदर्भित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:–**

**आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों का Construction Period में Extension of Time पर विचार/अनुमोदनः–**

चैन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत अतिरिक्त मदों/कार्यों हेतु अथॉरिटी इंजीनियर के स्टॉफ का निर्माण अवधि में Extension of Time निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

| Sl. No. | Position | As per Contract Agreement | Post Reorganization/Extension |
|---|---|---|---|
| | | Man Month in Maintenance Period | Man Month in Extended Construction Period & Maintenance Period |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | **Key Professional Staff** | | |
| 1 | Resident Engineer for Package-1 | | Upto 30-04-2018 |
| 2 | Resident Engineer for Package-2 | | Upto 15-06-2018 |
| 3 | Resident Engineer for Package-3 | | Upto 15-07-2018 |
| 4 | Resident Engineer for Package-4 | | Upto 30-04-2018 |
| 5 | Resident Engineer for Package-5 | | Upto 15-07-2018 |
| 6 | Sr. Bridge/Structural Engineer for Package-5 | - | 1 No. Upto 30-04-2018 |
| B | **Sub Professional Staff** | | |
| 7 | Quantity Surveyor for Package-1 | | Upto 30-04-2018 |
| 8 | Quantity Surveyor for Package-2 | | Upto 15-06-2018 |
| 9 | Quantity Surveyor for Package-3 | | Upto 15-07-2018 |
| 10 | Quantity Surveyor for Package-4 | | Upto 30-04-2018 |
| 11 | Quantity Surveyor for Package-5 | | Upto 15-07-2018 |

| Sl. No. | Position | As per Contract Agreement | Post Reorganization/Extension |
|---|---|---|---|
| | | Man Month in Maintenance Period | Man Month in Extended Construction Period & Maintenance Period |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Survey Engineer for Package-2 | | 1 No. Upto 31-05-2018 |
| 13 | Survey Engineer for Package-3 | | 1 No. Upto 30-06-2018 |
| 14 | Survey Engineer for Package-5 | | 1 No. Upto 30-06-2018 |
| C | **Support/Office Staff** | | |
| 15 | Office Manager for Package-1 | | Upto 30-04-2018 |
| 16 | Office Manager for Package-2 | | Upto 15-06-2018 |
| 17 | Office Manager for Package-3 | | Upto 15-07-2018 |
| 18 | Office Manager for Package-4 | | Upto 30-04-2018 |
| 19 | Office Manager for Package-5 | | Upto 15-07-2018 |
| 20 | Computer Operator cum Steno for Package-1 | | Upto 30-04-2018 |
| 21 | Computer Operator cum Steno for Package-2 | | Upto 15-06-2018 |
| 22 | Computer Operator cum Steno for Package-3 | | Upto 15-07-2018 |
| 23 | Computer Operator cum Steno for Package-4 | | Upto 30-04-2018 |
| 24 | Computer Operator cum Steno for Package-5 | | Upto 15-07-2018 |
| 24 | Office Boy for Package-1 | | 1 No. Upto 30-04-2018 |
| 26 | Office Boy for Package-2 | | 1 No. Upto 15-06-2018 |
| 27 | Office Boy for Package-3 | | 1 No. Upto 15-07-2018 |
| 28 | Office Boy for Package-4 | | 1 No. Upto 30-04-2018 |
| 29 | Office Boy for Package-5 | | 1 No. Upto 15-07-2018 |

परियोजना में अथॉरिटी इंजीनियर के गठित अनुबन्ध की कुल लागत रू0 81,44,04,370.00 (टैक्स अतिरिक्त) है, जिसके विरुद्ध माह जनवरी–2018 तक रू0 47,05,07,991.00 (टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान हो चुका है। अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों में पूर्व में किये गये समस्त परिवर्तनों एवं उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तनों को समावेशित करते हुये अनुबन्धित अवधि के अन्त तक कुल लगभग रू0 74.09 करोड़ (टैक्स अतिरिक्त) का व्यय सम्भावित है। इस प्रकार Construction Period में परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों के प्रस्तावित Extension of Time की स्वीकृति से अथॉरिटी इंजीनियर की सेवाओं के लिये गठित अनुबन्ध की लागत पर कोई अतिरिक्त व्ययभार नहीं पड़ेगा।

**कार्यवाही / निर्णयः–** अध्यक्ष महोदय ने चर्चा उपरान्त **Construction Period में Extension of Time पर** अनुमोदन प्रदान किया एवं निर्देशित किया, कि अब भविष्य कोई विस्तार नहीं किया जाना है

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8:–**

**अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदनः–**

**कार्यवाही / निर्णयः–** प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

**एजेण्डा बिन्दु संख्या0 9:–**

**मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 06.04.2018 तक संलग्न 1–4 पर स्थापितः–**

**कार्यवाही / निर्णयः–** प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 10:–

**रॉयल्टी में वृद्वि के फलस्वरूप ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में:–**

प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया के अभिमत के दृष्टिगत रॉयल्टी में वृद्वि के फलस्वरूप आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पॉचों पैकेजो मे अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति ठेकेदारों को किये जाने हेतु बोर्ड का निर्णय निवेदित है।

कार्यवाही / निर्णयः– प्रकरण पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण पर न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त करने हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध कर लिया जाए।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 11:–

**भूतत्व एवं खनिककर्म विभाग के शासनादेश दि0 23.03.2018 द्वारा रॉयल्टी समाप्त किये जाने के उपरान्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत का अनुमोदन:–**

बोर्ड की 38वीं बैठक दिनांक 27.02.2018 में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि माह अगस्त, 2017 में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना के सिविल निर्माण कार्य की लागत रू013193 करोड़ (01 प्रतिशत लेबर सेस एवं एटीएमएस सहित)मूल्यांकित की गई थी। कालान्तर में उच्च स्तरीय बैठकों में लिये गये निर्णयों के कम में परियोजना के आगणन में निम्नांकित परिवर्तन किये गये हैं:–

1. पैकेज सं0–6 से वाराणसी लिंक (12.5 किमी0 लम्बाई) को हटा दिया गया है। अब एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 340.824 किमी0 हो गई है।
2. पैकेज सं0–7 में प्रस्तावित एयर स्ट्रिप को अब पैकेज सं0–4 में प्रस्तावित कर दिया गया है।
3. मीडियन की चौड़ाई 22.5 मी0 से घटाकर 5.50 मी कर दी गई है।
4. परियोजना की बिटुमिनस कस्ट की डिजाइन 15 साल के लिये तथा ग्रेन्यूलर कस्ट की डिजाइन 20 साल के लिये कर दी गई है।
5. आगणन की दरों को नवीनतम शिड्यूल ऑफ रेट के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।
6. सभी पैकेजों में से वे साइड अमेनिटीज, टॉयलेट ब्लॉक व सोलर फार्म हटा दिये गये हैं।
7. ए.टी.एम.एस. की लागत को कम कर दिया गया है।

उपरोक्त सभी परिवर्तनों सहित परियोजना के आठों पैकेजों का परीक्षण लोक निर्माण विभाग से कराया गया तत्पश्चात् प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से मूल्यांकनकराकर दिनांक 09.02.2018 को वित्त व्यय समिति से अनुमोदनप कराया गया।वित्त व्यय समिति द्वारा परियोजना की कुल लागत रू0 23,798.75 करोड़ अनुमोदित की गयी है, जिसका पैकेजवार विवरण निम्नवत है:–

| Package No | Package detail | Chainage | Detail of Cost in Rs Crores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Civil Cost | GST@ 12% | Labour Cess | Civil Cost + GST + Labour Cess | Total Project Cost (including all charges, escalation, maintenance, utility Shifting and land acquisition) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chandsarai (Lucknow) to sansara (Barabanki) | -0.270 to 40.200 | 1693.67 | 203.24 | 18.97 | 1915.88 | 3177.13 |
| 2 | Sansara (Barabanki) to Jaraikala (Amethi) | 40.20 to 79.990 | 1486.67 | 178.40 | 16.65 | 1681.72 | 2874.06 |
| 3 | Jaraikala (Amethi) to Siddiganeshpur (Sultanpur) | 79.90 to 121.60 | 1542.02 | 185.04 | 17.27 | 1744.33 | 2991.90 |

| Package No | Package detail | Chainage | Detail of Cost in Rs Crores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Civil Cost | GST@ 12% | Labour Cess | Civil Cost + GST + Labour Cess | Total Project Cost (including all charges, escalation, maintenance, utility Shifting and land acquisition) |
| 4 | Siddiganeshpur (Sultanpur) to Sansarpur (Sultanpur) | 121.60 to 164.30 | 1630.86 | 195.70 | 18.27 | 1844.83 | 3134.47 |
| 5 | Sansarpur (Sultanpur) Govindpur (Azamgarh) | 164.30 to 218.30 | 1650.58 | 198.07 | 18.49 | 1867.14 | 3400.05 |
| 6 | Govindpur (Azamgarh) to Mozrapur (Azamgarh) | 218.30 to 246.50 | 1012.82 | 121.54 | 11.34 | 1145.7 | 1982.06 |
| 7 | Mozrapur (Azamgarh) to Bijaura (Ghazipur) | 246.50 to 292.53 | 1502.23 | 180.27 | 16.83 | 1699.33 | 3029.88 |
| 8 | Bijaura (Ghazipur) to Haidariya (Ghazipur) | 292.53 to 340.50 | 1609.55 | 193.15 | 18.03 | 1820.73 | 3209.20 |
| Total | | | 12128.40 | 1455.41 | 135.85 | 13719.66 | 23798.75 |

भूतत्व एवं खनिककर्म विभाग के शासनादेश दि0 23.03.2018 द्वारा रॉयल्टी समाप्त किये जाने के कारण परियोजना की लागत में पुनः परिवर्तन हो गया है।अब परियोजना के सिविल निर्माण की लागत रू0 11932.73 (01 प्रतिशत लेबर सेस एवं एटीएमएस सहित)एवं कुल लागतरू0 23349.37 करोड़ हो गयी है, जिसका पैकेजवार विवरण इस प्रकार है:–

| Package No | Package detail | Chainage | Detail of Cost in Rs Crores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Civil Cost | GST@ 12% | Labour Cess | Civil Cost + GST + Labour Cess | Total Project Cost (including all charges, escalation, maintenance, utility Shifting and land acquisition) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chandsarai (Lucknow) to sansara (Barabanki) | -0.270 to 40.200 | 1651.36 | 198.16 | 18.50 | 1868.02 | 3119.13 |
| 2 | Sansara (Barabanki) to Jaraikala (Amethi) | 40.20 to 79.990 | 1447.24 | 173.67 | 16.21 | 1637.12 | 2820.00 |
| 3 | Jaraikala (Amethi) to Siddiganeshpur (Sultanpur) | 79.90 to 121.60 | 1500.86 | 180.10 | 16.81 | 1697.77 | 2935.47 |
| 4 | Siddiganeshpur (Sultanpur) to Sansarpur (Sultanpur) | 121.60 to 164.30 | 1586.83 | 190.42 | 17.77 | 1795.02 | 3074.12 |
| 5 | Sansarpur (Sultanpur) Govindpur (Azamgarh) | 164.30 to 218.30 | 1605.74 | 192.69 | 17.98 | 1816.41 | 3338.59 |
| 6 | Govindpur (Azamgarh) to Mozrapur (Azamgarh) | 218.30 to 246.50 | 985.30 | 118.24 | 11.04 | 1114.58 | 1944.34 |
| 7 | Mozrapur (Azamgarh) to Bijaura (Ghazipur) | 246.50 to 292.53 | 1460.47 | 175.26 | 16.36 | 1652.09 | 2972.64 |
| 8 | Bijaura (Ghazipur) to Haidariya (Ghazipur) | 292.53 to 340.50 | 1562.76 | 187.53 | 17.50 | 1767.79 | 3145.07 |
| Total | | | 11800.56 | 1416.07 | 132.17 | 13348.81 | 23349.37 |

परियोजना की उपरोक्तानुसार अद्यतन लागत बोर्ड द्वारा संज्ञान में लिये जाने हेतु प्रस्तुत है।

**कार्यवाही/निर्णयः—** रॉयल्टी समाप्त किये जाने के फलस्वरूप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत कम होने से निर्देशक मण्डल को अवगत कराया गया, कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं।

**अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 12:—**

**पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से रू0 12000.00 करोड़ ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्तावः—**

**कार्यवाही/निर्णयः—** यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक में ''पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना'' के सिविल निर्माण कार्य हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल की बैठक में विचार उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

---

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न हुई 39वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को अनुमोदित किये गये है।

(रवीन्द्र गोडबोले)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी